कार्यालय, मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली
OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन,
कश्मीरी गेट, दिल्ली -110006,
फोन नं. - 23946414
ई मेल- ceodelhi.hqr@gmail.com

Old St. Stephen's College Building,
Kashmere Gate, Delhi-10006.
Phone no- 23946414
Email: ceodelhi.hqr@gmail.com

No. F.CEO/COE/102(95)/Re-publish/2018/ 35308-28 Dated: 10/12/2018

To

Sh. Kumar Rajeev,
Under Secretary,
Election Commission of India,
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi.

Sub: General Election to the Legislative Assembly, 2015 of NCT of from 14-Shalimar Bagh Assembly Constituency - Removal of Disqualification Order-Reg.

Sir,

With reference to your letter no.76/DL-LA/14/2015/NS-II/314 dated 15-10-2018 on the subject cited above, I am directed to forward herewith a copy of Notification No. 76/DL-LA/14/2015 dated 17-10-2018 re-published in the official Gazette of NCT of Delhi and can be seen at link-www.egazette.nic.in for information and necessary action.

Yours faithfully

Encl: As above.

(CHARANJIT SINGH)
ELECTION OFFICER (COE)

Copy to :-

1. District Election Officers of all the 11 Districts in NCT of Delhi.
2. PS to CEO, Delhi / PA to Addl. CEO /PA to Dy. CEO
3. Sr. System Analyst with the request to upload Gazette / Notification on the official website of O/o CEO, Delhi under the link "Order / Circular /Notification".
4. All Election Officers at CEO Office, Delhi.

रजिस्ट्री सं. जी–3/डी एल (एन) 04/0009/2003—05 भारत सरकार REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] दिल्ली, नवम्बर 16—नवम्बर 22, 2018, बृहस्पतिवार/कार्तिक 25—अग्रहायण 1, 1940 [रा.रा.रा. क्षे.दि. 662,667

No. 9] DELHI, NOVEMBER 16—NOVEMBER 22, 2018, THURSDAY/ KARTIKA 25— AGRAHAYANA 1, 1940 [N.C.T.D. 662, 667

भाग—II–I
PART–II–I

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन

Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications.

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2018

सं. 466/स्थापना I/ई-2/डीएचसी.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय की माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 'दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 1972' की अनुसूची-II की मद संख्या 4 व 5 को सहर्ष संशोधित करती हैं जिसे निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:-

क्र. सं.	**पद की श्रेणी**	**पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता**	**नियुक्ति की विधि**	
1	**2**	**3**	**4**	
4.	**प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)** (पदोन्नति/ चयन पद)	**(क)** वरिष्ठ न्यायिक सहायक/ वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक/ रीडर/ न्यायालय अधिकारी के पदों में से किसी में भी 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता)।	**(क)**	रिक्त पदों का 35% वरिष्ठ न्यायिक सहायक/ वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक/ रीडर/ न्यायालय अधिकारी की श्रेणियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
		(ख) (i) –<u>इस न्यायालय की संस्थापना के सदस्यों हेतु:</u> सहायक लेखा अधिकारी/वरिष्ठ न्यायिक सहायक/ वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक/ रीडर/ वरिष्ठ निजी सहायक/ वरिष्ठ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ न्यायालय अधिकारी तथा/	**(ख)** (i) व (ii)	रिक्त पदों का 65% प्रतिशत कॉलम 3 (ख) (i) व (ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों से लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर योग्यता के अनुसार चयन द्वारा

		अथवा इसके समतुल्य पद में से किसी पर भी 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता) अथवा 8 वर्षों की सेवा सहित गैर–स्नातक; अथवा न्यायिक सहायक/ न्यायिक अनुवादक/ निजी सहायक/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ मुख्य कोषाध्यक्ष अथवा इसके समतुल्य पद अथवा इन पदों में से किसी पर तथा उपरोक्त खंड **(ख)** (i) में वर्णित पदों की सम्मिलित सेवा पर 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता); **(ख)** **(ii)** <u>इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की संस्थापना के सदस्यों हेतु:</u> वरिष्ठ न्यायिक सहायक/ वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता); अथवा न्यायिक सहायक/ निजी सहायक अथवा इन पदों में से किसी पर तथा उपरोक्त खंड **(ख)** (ii) में वर्णित पदों की सम्मिलित सेवा पर 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता); **(ख)** **(iii)** <u>सीधी भर्ती हेतु:</u> रु. 4800/- तथा/ अथवा इससे अधिक ग्रेड वेतन में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता)।	**(ख)** (iii)	यदि उपरोक्त खंड **(ख)** (i) व (ii) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयन हेतु योग्य नहीं होते हैं तो लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
5.	**कोर्ट मास्टर** (पदोन्नति/ चयन पद)	**(क)** वरिष्ठ न्यायिक सहायक/ वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक/ रीडर/ न्यायालय अधिकारी के पदों में से किसी पर भी 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता)। **(ख)** (i) <u>इस न्यायालय की संस्थापना के सदस्यों हेतु:</u> सहायक लेखा अधिकारी/वरिष्ठ न्यायिक सहायक/ वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक/ रीडर/ वरिष्ठ निजी सहायक/वरिष्ठ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/न्यायालय अधिकारी तथा/ अथवा इसके समतुल्य पद में से किसी पर भी 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता) अथवा 8 वर्षों की सेवा सहित गैर–स्नातक; अथवा न्यायिक सहायक/ न्यायिक अनुवादक/ निजी सहायक/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ मुख्य कोषाध्यक्ष अथवा इसके समतुल्य पद अथवा इन पदों में से किसी पर तथा उपरोक्त खंड **(ख)** (i) में वर्णित पदों की सम्मिलित सेवा पर 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को	**(क)** **(ख)** (i) व (ii)	रिक्त पदों का 35% वरिष्ठ न्यायिक सहायक/ वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक/ रीडर तथा न्यायालय अधिकारी की श्रेणियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। रिक्त पदों का 65% प्रतिशत कॉलम 3 **(ख)** (i) व (ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों से लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर योग्यता के अनुसार चयन द्वारा।

		प्राथमिकता); **(ख)(ii)** इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की संस्थापना के सदस्यों हेतु : वरिष्ठ न्यायिक सहायक/ वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता); अथवा न्यायिक सहायक/ निजी सहायक अथवा इन पदों में से किसी पर तथा उपरोक्त खंड **(ख)** (ii) में वर्णित पदों की सम्मिलित सेवा पर 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता); **(ख) (iii)** सीधी भर्ती हेतु : रु. 4800/- तथा/ अथवा इससे अधिक ग्रेड वेतन में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता) ।	**(ख)** (iii)	यदि उपरोक्त खंड **(ख)** (i) व (ii) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयन हेतु योग्य नहीं होते हैं तो लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ।

नोट : उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

आदेशानुसार,

दिनेश कुमार शर्मा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 5th June, 2018

No.466/Estt.I/E-2/DHC.—In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Acting Chief Justice of this Court has been pleased to amend Item No. 4 & 5 of the Schedule-II to the `Delhi High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1972' so as to read as under:-

S. No.	**Category of post**	**Minimum qualifications prescribed for appointment to the post**	**Mode of appointment**	
1	2	3	4	
4.	Administrative Officer (Judicial) (Promotion/ Selection Post)	(a) Graduate with 5 years' regular service (Law graduate to be preferred) in any of the posts of Senior Judicial Assistant/ Senior Judicial Translator/ Reader/ Court Officer. (b)(i) For members of establishment of this Court: Graduate with 5 years' regular service (Law Graduate to be preferred) or non-graduate with 8 years' service in any of the post of Assistant Accounts Officer/ Senior Judicial Assistant/ Senior Judicial Translator/ Reader/ Senior Personal Assistant/ Senior Assistant Librarian/ Court Officers and/or	(a) (b)(i) & (ii)	35% of the vacant posts by promotion on the basis of seniority-cum-merit from joint seniority list of categories Senior Judicial Assistant/ Senior Judicial Translator/ Reader and Court Officer. 65% of the vacant posts by selection on merit on the basis of written test and interview from categories specified in column 3(b)(i) & (ii)

		its equivalent post; OR Graduate with 7 years' regular service (Law Graduate to be preferred) in the post of Judicial Assistant/ Judicial Translator/ Personal Assistant/ Assistant Librarian/ Chief Cashier or its equivalent post or combined service in any of these posts and the posts mentioned in clause (b)(i) above; (b)(ii) For members of the establishment of Courts subordinate to this Court: Graduate with 5 years' regular service (Law Graduate to be preferred) in the post of Senior Judicial Assistant/ Senior Personal Assistant; OR Graduate with 7 years' regular service (Law Graduate to be preferred) in the post of Judicial Assistant/ Personal Assistant or combined service in any of these posts and the posts mentioned in clause (b)(ii) above; (b)(iii) For direct recruits: Graduate with 5 years' regular service (Law Graduate to be preferred) having Grade Pay of Rs.4,800/- and/ or above.	(b)(iii)	In case requisite number of candidates do not qualify for selection on merit in terms of provisions of clause (b)(i) & (ii) above, by direct recruitment on the basis of written test and interview.
5.	Court Master (Promotion/ Selection Post)	(a) Graduate with 5 years' regular service (Law graduate to be preferred) in any of the posts of Senior Judicial Assistant/ Senior Judicial Translator/ Reader/Court Officer. (b)(i) For members of establishment of this Court: Graduate with 5 years' regular service (Law Graduate to be preferred) or non-graduate with 8 years' service in any of the post of Assistant Accounts Officer/ Senior Judicial Assistant/ Senior Judicial Translator/ Reader/ Senior Personal Assistant/ Senior Assistant	(a) (b)(i) & (ii)	35% of the vacant posts by promotion on the basis of seniority-cum-merit from joint seniority list of categories Senior Judicial Assistant/ Senior Judicial Translator/ Reader and Court Officer. 65% of the vacant posts by selection on merit on the basis of written test and interview from categories specified in column 3(b)(i) & (ii)

		Librarian/ Court Officers and/or its equivalent post; OR Graduate with 7 years' regular service (Law Graduate to be preferred) in the post of Judicial Assistant/ Judicial Translator/ Personal Assistant/ Assistant Librarian/ Chief Cashier or its equivalent post or combined service in any of these posts and the posts mentioned in clause (b)(i) above; (b)(ii) <u>For members of the establishment of Courts subordinate to this Court</u>: Graduate with 5 years' regular service (Law Graduate to be preferred) in the post of Senior Judicial Assistant/ Senior Personal Assistant; OR Graduate with 7 years' regular service (Law Graduate to be preferred) in the post of Judicial Assistant/ Personal Assistant or combined service in any of these posts and the posts mentioned in clause (b)(ii) above; (b)(iii) <u>For direct recruits</u>: Graduate with 5 years' regular service (Law Graduate to be preferred) having Grade Pay of Rs.4,800/- and/ or above.	(b)(iii)	In case requisite number of candidates do not qualify for selection on merit in terms of provisions of clause (b)(i) & (ii) above, by direct recruitment on the basis of written test and interview.

Note: The above amendment shall come into force with immediate effect.

By Order,

DINESH KUMAR SHARMA, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2018

सं. 467/स्थापना I/ई-2/डीएचसी.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय की माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 'दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 1972' की अनुसूची-II की मद संख्या 6 को सहर्ष संशोधित करती हैं जिसे निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:-

क्र. सं.	**पद की श्रेणी**	**पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता**	**नियुक्ति की विधि**	
1	**2**	**3**	**4**	
6.	निजी सचिव (पदोन्नति/ चयन पद)	**(क)** इस न्यायालय में वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर 5 वर्षों की सेवा सहित स्नातक।	**(क)**	पदों का 35% इस न्यायालय के वरिष्ठ निजी सहायकों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।
		(ख) (i) – <u>इस न्यायालय तथा इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों हेतु:</u> **अनिवार्य:** (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्विद्यालय से स्नातक; (ख) वरिष्ठ निजी सहायक/ वरिष्ठ न्यायिक सहायक/ वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक/ वरिष्ठ सहायक पुस्तकाल्याध्यक्ष/ रीडर/ न्यायालय अधिकारी अथवा इसके समतुल्य पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा; **अथवा** निजी सहायक/ न्यायिक सहायक/ न्यायिक अनुवादक/ सहायक पुस्तकाल्याध्यक्ष/ मुख्य कोषाध्यक्ष अथवा इसके समतुल्य पद पर 7 वर्षों की नियमित सेवा अथवा इन पदों में से किसी पर तथा उपरोक्त खंड **(ख)** में वर्णित पदों पर सम्मिलित सेवा; तथा (क) कंप्यूटर में कुशलता सहित अंग्रेजी आशुलिपि में कम से कम 120 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 45 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त हो। **वांछनीय:** किसी मान्यता-प्राप्त विश्विद्यालय से विधि (एलएल.बी.) में स्नातक की डिग्री। **(ख)(ii)-सीधी भर्ती हेतु:** **अनिवार्य:** (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्विद्यालय से स्नातक; (ख) रु. 4600/- तथा/ अथवा इससे अधिक ग्रेड वेतन में अशुलिपिकीय पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा **अथवा** रु. 4200/- तथा/ अथवा इससे अधिक ग्रेड वेतन में अशुलिपिकीय पद पर 7 वर्षों की	**(ख)(i) व (ii)**	पदों का 65% प्रतिशत निम्न आधार पर योग्यता के अनुसार चयन द्वारा: (क) अंग्रेजी भाषा में एक पेपर शामिल करते हुए (निबंध, व्याकरण तथा अनुवाद) लिखित परीक्षा में कौशल; (ख) 40 मिनट में कंप्यूटर पर अंग्रेजी में लिप्यंतरण की जाने वाली 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड पर 5 मिनट की अवधि की अंग्रेजी में आशुलिपि श्रुतलेख की अर्हकर कौशल परीक्षा, तथा कंप्यूटर पर 45 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 10 मिनट की अवधि की अंग्रेजी टंकण परीक्षा। (**नोट:** प्रत्येक अभ्यर्थी को दो आशुलिपि श्रुतलेख लिप्यंतरण परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा तथा दोनों में से सर्वोत्तम को माना जायेगा); एवं (ग) मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार में कौशल। यदि उपरोक्त खंड **(ख)** (i) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयन हेतु योग्य नहीं होते हैं तो खंड (ख) (ii) के आधार पर भर्ती की जाएगी।

		नियमित सेवा, किसी सरकारी विभाग (केंद्र अथवा राज्य)/ स्वायत्त निकाय/ संवैधानिक निकाय/ सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में; तथा (ग) कंप्यूटर में कुशलता सहित अंग्रेजी आशुलिपि में कम से कम 120 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 45 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त हो। **वांछनीय:** किसी मान्यता-प्राप्त विश्विद्यालय से विधि (एलएल.बी.) में स्नातक की डिग्री।		

नोट : उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे |

आदेशानुसार,

दिनेश कुमार शर्मा, महानिबंधक

NOTIFICATION

Delhi, the 5th June, 2018

No.467/Estt.I/E-2/DHC.—In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Acting Chief Justice of this Court has been pleased to amend Item No. 6 of the Schedule-II to the 'Delhi High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1972' so as to read as under:-

S. No	**Category of post**	**Minimum qualifications prescribed for appointment to the post**	**Mode of appointment**	
1	**2**	**3**	**4**	
6.	**Private Secretary (Promotion/ Selection Post)**	**(a)** Graduate with 5 years' service in the post of Senior Personal Assistant in this Court.	**(a)**	**35%** of the posts by promotion on the basis of seniority-cum-merit from Senior Personal Assistants of this Court.
		(b)(i) – For officials of this Court and Courts subordinate to this Court: **Essential:** (a) Graduate from a recognized university; (b) 5 years' regular service in the post of Senior Personal Assistant / Senior Judicial Assistant / Senior Judicial Translator / Senior Assistant Librarian / Reader / Court Officer or its equivalent post; **OR** 7 years' regular service in the post of Personal Assistant/Judicial Assistant/Judicial Translator / Assistant Librarian/Chief Cashier or its equivalent post or combined service in any of these posts and the posts mentioned in clause (b) above; and	**(b)(i) & (ii)**	**65%** of the posts by selection on merit on the basis of: (a) performance in written examination comprising of one paper in English language (Essay, Grammar and Translation); (b) qualifying skill test of shorthand dictation in English of 5 minutes duration at the speed of 120 w.p.m. to be transcribed on computer in English in 40 minutes, and typing test in English of 10 minutes duration on computer at the speed of 45 w.p.m. [*Note: Each participant will be given opportunity to appear in two shorthand dictation transcription tests and best of the two will be*

		(a) Possessing a speed of not less than 120 w.p.m. in English Shorthand and 45 w.p.m. in English Typing on Computer with proficiency in Computer. **Desirable:** Bachelor Degree in Law (LL.B.) from a recognized University. **(b)(ii) – For direct recruits:** **Essential:** (a) Graduate from a recognized University; (b) 5 years' regular service in stenographic post having Grade Pay of Rs. 4,600/- and / or above, **OR** 7 years' regular service in stenographic post having Grade Pay of Rs.4,200/- and /or above, in any Government Department (Central or State) /Autonomous Body/Constitutional Body/ Statutory Body/Public Sector Undertaking; **and** (c) Possessing a speed of not less than 120 w.p.m. in English Shorthand and 45 w.p.m. in English Typing on Computer with proficiency in Computer. **Desirable:** Bachelor Degree in Law (LL.B.) from a recognized University.		*considered*]; **and** (c) performance in viva-voce test/ interview. In case, requisite number of candidates do not qualify for selection on merit in terms of provisions of clause (b)(i), appointment will be made in terms of clause (b)(ii).

Note: The above amendment shall come into force with immediate effect.

By Order,

DINESH KUMAR SHARMA, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

सं.608/स्था.I/ई-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय के अधिसूचना सं. 195/स्था./ई-2/डी.एच.सी. दिनांक 12.03.2018 की निरंतरता में, माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करती हैं:-

क्रम सं.	**अधिकारी का नाम एवं धारित पद**	**पद जिस पर नियुक्ति की गई है**	**टिप्पणियां**
1.	श्री सतीश गुसाईं, स्थानापन्न सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में (7 वें वेतन आयोग के अनुसार) अस्थायी सहायक निबंधक/ लेखा उप नियंत्रक अधिकारी	दिनांक 10.09.2018 से आगामी आदेशों तक सहायक निबंधक/लेखा उप नियंत्रक के रिक्त पद के प्रति जो श्री एस.एस. भटनागर, के उप निबंधक के पदोन्नत होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।

2.	श्री रोहताश सिंह, निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में (7वें वेतन आयोग के अनुसार) अस्थायी सहायक निबंधक	दिनांक 10.09.2018 से आगामी आदेशों तक रिक्त पद के प्रति जो श्री अरुण कुमार-II, सहायक निबंधक के अनिवार्य सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।
3.	सुश्री नीना मल्होत्रा, कोर्ट मास्टर	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में (7 वें वेतन आयोग के अनुसार) स्थानापन्न सहायक निबंधक	दिनांक 10.09.2018 से आगामी आदेशों तक रिक्त पद के प्रति जो सुश्री साधना जडिया, सहायक निबंधक के प्रतिनियुक्ति पर जाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।

नोट: 1. सुश्री नीना मल्होत्रा, की नियुक्ति स्थानापन्न सहायक निबंधक के पद पर इस शर्त के अध्यधीन होगी कि सुश्री साधना जडिया, सहायक निबंधक के इस न्यायालय में वापसी पर, यदि सहायक निबंधक का रिक्त पद उपलब्ध नहीं है। सुश्री नीना मल्होत्रा, अपने पिछले पद अर्थात् कोर्ट मास्टर के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगी परिणामस्वरूप, श्री सतीश गुसाईं की नियुक्ति पर लगाई गई शर्त सं.1 अधिसूचना सं. 195/स्था./ई-2/डी.एच.सी. दिनांक 12.03.2018 द्वारा हटाई जाती है।

2. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस एल पी (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहूजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस एल पी (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के.शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायलय एवं अन्य", (iii) एस एल पी (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", तथा (iv) एस एल पी (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य " एवं (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय", एवं (vi) एस.एल.पी. सं. 21824/2016 शीर्षक "वी.के.मित्तल बनाम महानिबंधक, दिल्ली उच्च न्यायालय" के परिणाम के अध्यधीन होंगी तथा इस शर्त के भी अध्यधीन होंगी कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/कर्मचारी (गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं कोई रिक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

यश पाल, विशेष कार्य अधिकारी (स्थापना)

NOTIFICATION

Delhi, the 10th September, 2018

No. 608/Estt.I/E-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 195/Estt./E-2/DHC dated 12.03.2018, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

Sr. No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Satish Gusain, Officiating Assistant Registrar	Temporary Assistant Registrar/ Deputy Controller of Accounts in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7^{th} Pay Commission)	With effect from 10.09.2018 till further orders against the vacancy of Assistant Registrar/ Deputy Controller of Accounts arisen upon promotion of Mr. S.S.Bhatnagar as Deputy Registrar.
2.	Mr. Rohtash Singh, Private Secretary	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7^{th} Pay Commission)	With effect from 10.09.2018 till further orders against the vacancy arisen consequent upon compulsory retirement of Mr. Arun Kumar-II, Assistant Registrar.
3.	Ms. Neena Malhotra, Court Master	Officiating Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7^{th} Pay Commission)	With effect from10.09.2018 till further orders against the vacancy available on proceeding of Ms. Sadhana Jadia, Assistant Registrar, on deputation.

Notes: 1. The appointment of Ms. Neena Malhotra, as officiating Assistant Registrar will be subject to the condition that on repatriation of Ms. Sadhana Jadia, Assistant Registrar to this Court, if no vacancy of Assistant Registrar is available, Ms. Neena Malhotra, will stand reverted to her previous post i.e. Court Master. Consequently, the condition No.1 imposed on the appointment of Mr. Satish Gusain vide Notification No. 195/Estt./E-2/DHC dated 12.03.2018 stands removed.

2. The above appointments shall be subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled *"Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors."*, (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled *"K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors."*, (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled *"Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors."*, (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled *"Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors."* (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled *"Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court", and (vi)* SLP No. 21824/2016 titled *"V.K.Mittal Vs. Registrar General, Delhi High Court"* and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s)/official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

YASH PAL, Officer on Special Duty (Estt.)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

सं.680/स्था.I/ई-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय के अधिसूचना सं. 608/स्था./ई-2/डी.एच.सी. दिनांक 10.09.2018 की निरंतरता में, माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	**अधिकारी का नाम एवं धारित पद**	**पद जिस पर नियुक्ति की गई है**	**टिप्पणियां**
1.	सुश्री नीना मल्होत्रा, स्थानापन्न सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में (7 वें वेतन आयोग के अनुसार) अस्थायी सहायक निबंधक	दिनांक 01.10.2018 से आगामी आदेशों तक सहायक निबंधक के रिक्त पद के प्रति जो सुश्री प्रोमिला गुप्ता, सहायक निबंधक के सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।
2.	श्री नरेश मेहता, निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में (7 वें वेतन आयोग के अनुसार) स्थानापन्न सहायक निबंधक	दिनांक 01.10.2018 से आगामी आदेशों तक रिक्त पद के प्रति जो सुश्री साधना जडिया, सहायक निबंधक के प्रतिनियुक्ति पर जाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।

नोट: 1. श्री नरेश मेहता, की नियुक्ति स्थानापन्न सहायक निबंधक के पद पर इस शर्त के अध्यधीन होगी कि सुश्री साधना जडिया, सहायक निबंधक के इस न्यायालय में वापसी पर, यदि सहायक निबंधक का रिक्त पद उपलब्ध नहीं है। श्री नरेश मेहता, अपने पिछले पद अर्थात् निजी सचिव के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे परिणामस्वरूप, सुश्री नीना मल्होत्रा, की नियुक्ति पर लगाई गई शर्त सं.1 अधिसूचना सं. 608/स्था./ई-2/डी.एच.सी. दिनांक 10.09.2018 द्वारा हटाई जाती है।

2. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस एल पी (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहूजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस एल पी (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायलय एवं अन्य", (iii) एस एल पी (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", तथा (iv) एस एल पी (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" एवं (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय", एवं (vi) एस.एल.पी. सं. 21824/2016 शीर्षक "वी.के.मित्तल बनाम महानिबंधक, दिल्ली उच्च न्यायालय" के परिणाम के अध्यधीन होंगी तथा इस शर्त के भी अध्यधीन होंगी कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/कर्मचारी (गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं कोई रिक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

यश पाल, विशेष कार्य अधिकारी (स्थापना)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 2018

No. 680/Estt.I/E-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 608/Estt./E-2/DHC dated 10.09.2018, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

Sr. No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Ms. Neena Malhotra, Officiating Assistant Registrar	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7th Pay Commission)	With effect from 01.10.2018 till further orders against the vacancy of Assistant Registrar arising upon retirement of Ms. Promila Gupta, Assistant Registrar.
2.	Mr. Naresh Mehta Private Secretary	Officiating Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7th Pay Commission)	With effect from 01.10.2018 till further orders against the vacancy available on proceeding of Ms. Sadhana Jadia, Assistant Registrar, on deputation.

Notes:

1. The appointment of Mr. Naresh Mehta, as officiating Assistant Registrar will be subject to the condition that on repatriation of Ms. Sadhana Jadia, Assistant Registrar to this Court, if no vacancy of Assistant Registrar is available, Mr. Naresh Mehta, will stand reverted to his previous post i.e. Private Secretary. Consequently, the condition No.1 imposed on the appointment of Ms. Neena Malhotra vide Notification No. 608/Estt./E-2/DHC dated 10.09.2018 stands removed.
2. The above appointments shall be subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled *"Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors."*, (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled *"K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors."*, (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled *"Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors."*, (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled *"Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors."* (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled *"Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court", and (vi)* SLP No. 21824/2016 titled *"V.K.Mittal Vs. Registrar General, Delhi High Court"* and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s)/official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

YASH PAL,Officer on Special Duty (Estt.)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 22 नवम्बर, 2018

सं.–मु.चु.अ./चु.सं./102(95)/पु. प्रकाशन/2018/33020.—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

"भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली,17 अक्तूबर, 2018

सं. 76/दिल्ली–वि.स./14/2015.–यतः, श्री सी ए सतीश सिंघल ने 14–शालीमार बाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2015 में निर्वाचन लड़ा था, जिसके परिणाम की घोषणा 10.02.2015 को की गई थी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार उन्हें निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर के समक्ष विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करना अपेक्षित था।

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर ने निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के अधीन दिनांक 09–04–2015 की अपनी रिर्पार्ट में उल्लेख किया है कि श्री सी ए सतीश सिंघल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 78 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर के समक्ष अपना निर्वाचन व्यय लेखा दखिल करने में असफल रहे हैं और,

यतः, श्री सी ए सतीश सिंघल को दिनांक 24–06–2015 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करें, ऐसा नहीं करने पर उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन लड़ने से निरर्हित घोषित कर दिया जाएगा। उन्हें यह नोटिस दिनांक 13–08–2015 को डेलीवर कर दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर ने दिनांक 17–02–2017 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया था कि श्री सी ए सतीश सिंघल ने अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया था। अतः, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 7 जून, 2016 के अपने आदेश सं. 76/दिल्ली–वि.स./2015(1) के द्वारा उक्त अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन संसद के दोनों सदनों/राज्य विधान सभा या राज्य की विधान परिषद के लिए निर्वाचन लड़ने से निरर्हित घोषित कर दिया था, और

यतः, श्री सी ए सतीश सिंघल ने एक शपथ–पत्र तथा अपने निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित अन्य दस्तावेजों को संलग्न करते हुए दिनांक 23–02–2017 को एक अभ्यावेदन दाखिल किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर जिन्हें उनका अभ्यावेदन संदर्भित किया गया था, ने दिनांक 27–10–2017 की अपनी रिपोर्ट द्वारा आयोग को सूचित किया कि उक्त अभ्यर्थी ने विधि द्वारा अपेक्षित रीति से 25–08–2016 को अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया था।

अतः, अब मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं श्री सी ए सतीश सिंघल द्वारा किए गए निवेदन पर विचार करने के पश्चात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, आयोग ने उनके /ऊपर 07.06.2016 को अधिरोपित निरर्हता को हटाने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, आयोग के दिनांक 07 जून, 2016 के आदेश सं. 76/दिल्ली–वि.स./2015(1) में क्रम सं. 04 में प्रदर्शित श्री सी ए सतीश सिंघल के नाम को उक्त आदेश से 17–10–2018 से हटा दिया जाएगा।

आदेश से,

जे.के.राव, सचिव

भारत निर्वाचन आयोग''

आदेश से

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd November, 2018

No.CEO/COE/102 (95)/Re-Publish/2018/ 33020.—The following is published for general information.—

"ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, 17th October, 2018

No.76/DL-LA/14/2015.—Whereas, . Sh. CA Satish Singal contested the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2015 from 14-Shalimar Bagh Assembly Constituency, result thereof was declared on 10-02-2015 and as per Section 78 of the Representation of People Act, 1951, he was required to file his account of election expenses in the manner required by law before the District Election Officer, North within thirty days from the date of election of the return candidate.

Whereas, the District Election Officer, North vide his report dated 09-04-2015 under Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 mentioned that Sh. CA Satish Singal has failed to lodge his account of election expenses as stipulated under the said Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 before the District Election Officer, North and;

Whereas, a Notice dated 24-06-2015 was issued to Sh. CA Satish Singal requiring him to lodge his accounts of election expenses within 20 days of the receipt of notice failing which he would be disqualified from contesting elections for a period of three years. The notice was delivered to him on 13-08-2015, and

Whereas, the District Election Officer, North District had intimated vide his letter dated 17-02-2017 that Sh. CA Satish Singal had not submitted his account of election expenses. Therefore the Election Commission of India vide its order No. 76/DL-LA/2015(1) dated 7th June, 2016 disqualified Sh. CA Satish Singal from contesting election to Houses of the Parliament/ State Legislative Assembly or legislative council of state under section 10A of the Representation of the people Act, 1951 for failure to lodge his account of election expenses as required by the said Act; and

Whereas, Sh. CA Satish Singal has filed a representation dated 23-02-2017 enclosing therewith an affidavit and other related documents pertaining to his account of election expenses. The District Election Officer, North to whom his representation was referred, vide his report, dated 27-10-2017 informed the Commission that the said candidate had submitted the accounts of election expenses on 25-08-2016 in the manner required by law.

Now, therefore, after taking into consideration all facts and circumstances of the case and the submission made by , Sh. CA Satish Singal the Commission, in exercise of the power conferred by Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, has decided to remove the disqualification imposed upon him on 07.06.2016. Consequently, the name of the Sh. CA Satish Singal appearing at SL No. 04 in the Commission's Order No. 76/DL-LA/2015(1) dated 7th June, 2016 shall be omitted from the said order with effect from 17-10-2018.

By Order,

J.K. RAO, Secy.

Election Commission of India"

By Order

RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi

Uploaded by Dte. of printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.03 20:11:44 +05'30'